ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भौम रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, का विवरण

बिहार भू–जल विकास मिशन

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ की अधिसंख्य जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राज्य में कृषि कार्य हेतु सिंचाई की सुविधा का विस्तार किये जाने के लिए सरकार संकल्पित है। साथ ही भू–जल के संरक्षण एवं विकास हेतु भी सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है।

भू–जल के विकास को दृष्टिपथ में रखते हुए वर्ष 2014 में 'बिहार भू–जल विकास मिशन' का गठन किया गया था। मिशन द्वारा प्रारम्भ में 'बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना' का भी क्रियान्वयन किया जा रहा था।

'जल–जीवन–हरियाली' अभियान के व्यापक प्रचार–प्रसार में भी मिशन का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

जनता के लिए इसकी बैठकें खुली नही हैं परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इसके कार्यकलापों के संबंध में नियमानुसार सूचना प्राप्त की जा सकती है।